

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 244]	दिल्ली, शुक्रवार, जून 30, 2017/आषाढ़ 9, 1939	[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 131
No. 244]	DELHI, FRIDAY, JUNE 30, 2017/ASADHA 9, 1939	[N.C.T.D. No. 131

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

foUk (jktLo&amp;1) foHkkx

vf/kl ipuk

दिल्ली, 30 जून, 2017

सं. 8/2017—राज्य कर (दर)

Qk- l a 3/15%@foRr vjkt-&1%@2017&18@Mh, l &VI@364.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, ऐसे पूर्तिकार द्वारा, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, माल या सेवाओं या दोनों की, राज्य के भीतर पूर्ति को उक्त दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन उस पर उद्घुहणीय राज्य कर से छूट प्रदान करते हैं :

परंतु उक्त छूट वहां लागू नहीं होगी, जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति का समग्र मूल्य, ऐसे किसी या सभी पूर्तिकारों से, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है या नहीं हैं, एक दिन में पांच हजार रुपए से अधिक है।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

एस. के. गुप्ता, उप-सचिव

**FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT****NOTIFICATION**

Delhi, the 30th June, 2017

No. 8/2017-State Tax (Rate)

**F. No. 3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/364.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts intra-State supplies of goods or services or both received by a registered person from any supplier, who is not registered, from the whole of the State tax leviable thereon under sub-section (4) of section 9 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017):

Provided that the said exemption shall not be applicable where the aggregate value of such supplies of goods or service or both received by a registered person from any or all the suppliers, who is or are not registered, exceeds five thousand rupees in a day.

2. This notification shall come into force with effect from the 1<sup>st</sup> day of July, 2017.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,

S. K. GUPTA, Dy. Secy.